प्रारूप–2

(नियम 8 क का उप–नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ / प्राशि / जय / सा–5 / फा–मान्यता / आर.टी.ई / पश्चिम / 198 दिनांक 5-1-16

संस्था सचिव
जयपुर इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल
कान्ती चन्द रोड बनीपार्क जयपुर

विषयः–नियम 8–क के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

संदर्भः– क्रमांक जिशिअ / प्राशि / जय / सा–5 / फा–मान्यता / पश्चिम / 0294 / दिनांक 15–10–2012

संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र दिनांक .... के क्रम में निर्धारित मापदण्ड पूर्ति एवं आक्षेपों की पूर्ति के आधार पर पूर्व आदेष को संषोधन कर विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं **जयपुर इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल कान्ती चन्द रोड बनीपार्क जयपुर** को 01.04.2012 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता मंजूर करता हूं। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा–8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।

2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्दीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विधालय, कक्षा–1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पडौस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।

4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सोसायटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्हीत नहीं करेगा और बालक या असके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।